an>

Title: Need to take steps for protection, social security and rehabilitation pension of widows in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में गांव से लेकर महानगरों तक बड़ी संख्या में ऐसी बहनें हैं जो नियती की दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना का शिकार होकर असामयिक समय में वैधव्य का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इनके लिए गांव में स्थितियां बहुत संकटपूर्ण होती हैं। गांव में गरीब मां-बाप बेटी का विवाह करने के बाद जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के लोग बेटे के निधन के बाद बहू की जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुंह मोड़ लेते हैं। इनको तरह-तरह के शब्दों से भावनात्मक चोट पहुंचाई जाती है। देश के विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 12 प्रतिशत यानी 14 से 15 करोड़ महिलाएं वैधव्य का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकारों द्वार पेंशन में बीपीएल की अनिवार्यता कर दी गई है। कुछ एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले काम बहुत अपर्याप्त हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि समाज में ऐसी विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं के संरक्षण, कल्याण और गुजारे के लिए पुनर्वास पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए तत्काल व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से कामकाजी, नौकरीपेशा महिलाओं के लिए होस्टल की सुविधाएं की जाती हैं, इसी तरह विधवा महिलाओं के लिए भी आवास गृहों की व्यवस्था करने के साथ रोजगारोन्मुख शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए ताकि वे समाज में सम्मानजनक और आत्मनिर्भरता का जीवन जी सकें। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri Badruddin Ajmalji, what is your subject? I do not understand what it is.